संख्या-106/2016/1619/41-2016-48 यो0/12

प्रेषक

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 03 अक्टूबर, 2016

विषय- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों का उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-850/6-1-1 (441)/2016, दिनांक 14 सितम्बर, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों का उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्राविधानित राशि रू0 29.48 करोड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0 54/2454/41-2014-48 यो0/12, दिनांक 14.10.2014 द्वारा रू0 167.92 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश सं0 1799/41-2013-48 यो0/12, दिनांक-06.12.2013 द्वारा रू0 22.7942 करोड की वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश सं0 81/2560/41-2014-48 यो0/12, दिनांक-19-12-2014 द्वारा रू0 30.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश सं0 106/2015/1555/41-2015-48 यो0/12, दिनांक 01-07-2015 द्वारा रू0 50.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना (ताजगंज परियोजना) के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन की पुनरीक्षित लागत रू0 21559.30 लाख के परीक्षणोपरान्त व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.07.2015 द्वारा रू0 19727.15 लाख की लागत के अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या-143/2015/3439/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0, दिनांक 14.10.2015 द्वारा रू0 19727.15 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। तदक्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत योजना (ताजगंज परियोजना) के क्रियान्वयन हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 19727.15 लाख के सापेक्ष चौथी किश्त के रूप में रू0 20.00 करोड (रूपये बीस करोड मात्र) की शासनादेश संख्या- 164/2015/3783/41-2015-48 यो0/12, दिनांक 21.12.2015 द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या- 80/2016/977/41-2016-48 यो0/12, दिनांक 29.06.2016 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0 45.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रश्नगत योजना हेतु अब तक कुल धनराशि रू0 167.79 करोड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों का उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु छठी एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू0 29.48 करोड धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निर्माण का कार्य निर्धारित टाईम लाइन के अनुसार पूर्ण किया जायेगा तथा प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित किये जायेगें।

(2) योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-54/2454/41-2014-48 यो0/12, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-1799/41-2013-48यो0/12, दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 एवं शासनादेश संख्या- 106/2015/1555/41-2015-48 यो0/12, दिनांक 01.07.2015, शासनादेश संख्या-143/2015/3439/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0, दिनांक 14.10.2015 एवं संख्या-80/2016/997/41-2016-48 यो0/12, दिनांक 29.06.2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) परियोजनान्तर्गत टायलेट के कार्य एवं एच0पी0 विद्युत लाइनों के अण्डरग्राउन्ड केबलिंग के कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत के अनुरूप कार्य की धनराशि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्वतन्त्र थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जायेगी जो योजना का समवर्ती निरीक्षण करेगी तथा भुगतान की संस्तुति भी करेगी।

(6) योजना के क्रियान्वयन में वित्त विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-18-आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों का पुनर्निर्माण/उच्चीकरण -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-106/2016/1619(1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।

2- मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी, आगरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0 एन्ड डी0एस0, जल निगम, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।